सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-856/BR/1/2022-ESDW **दिनांक: 17.07.2023**

श्री रवि प्रकाश,
जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
जिला-कटिहार,
कलक्ट्रेट परिसर, कटिहार – 854109
बिहार
ई-मेल: dm-katihar.bih@nic.in

विषय: अभियुक्त के जाती प्रमाण पत्र एवं रीती रिवाज़ संस्कृति जांच करने के सम्बन्ध में - श्री सत्येंद्र शाह गोंड, प्रदेश महासचिव, बिहार आदिवासी विकास परिषद, 103 गोंडवाना सदन, वार्ड नंबर - 05, रामनगर जिला - सिवान, बिहार का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर जिला कलेक्टर, जिला कटिहार, बिहार से प्राप्त उत्तर/पत्र दिनांक 26.11.2022 की छायाप्रति अभ्यावेदक को सूचनार्थ भेजी गयी थी जिससे असंतुष्ट होकर अभ्यावेदक श्री सत्येंद्र शाह गोंड ने दिनांक 09.02.2023 का रिजॉइंडर आयोग को भेजा है, उक्त रिजॉइंडर की प्रति संलग्न कर आपको भेजने का निर्देश हुआ है।

2. आपसे अनुरोध किया जाता है की रिजॉइंडर में उठाए गए बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गयी कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग को इस पत्र प्राप्ति के 07 दिनों की अवधि के भीतर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि अग्रिम कार्रवाई हेतु मामलें को आयोग के समक्ष रखा जा सके।

कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है ।

संलग्न यथोपरि.

(एच. आर. मीना)
अनुसंधान अधिकारी

प्रतिलिपि संलग्न:

1. **श्री सत्येंद्र शाह गोंड,**
   प्रदेश महासचिव,
   बिहार आदिवासी विकास परिषद,
   103 गोंडवाना सदन, वार्ड नंबर - 05,
   रामनगर जिला - सिवान,
   बिहार
2. **एन. आई. सी. अनुभाग, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।**